वाद संख्या 723/2020 दिनांक :– 16/2/21

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 सपठित धारा 136 राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम

–:आदेश–:

पत्रावली पेश हो सरकारी पैरोकार उपस्थित।

अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रड डाक नोटिस तामिल हेतु भिजवाए गए। दिनांक 10.03.2021 न्यायलय समय में अप्रार्थीगण को बार– बार आवाजें लगाई गई लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुए। अधिकतर अप्रार्थीगण का सहमति पत्र नोटेरी शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई बहस सुनी बहस पर मनन किया। पत्रावली पत्र उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

अतः सार्वजनिक न्याय हित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

राजस्व विभाग (ग्रुप–6) के पत्र कमांक प. 3(2)राज–6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 राजस्थान सरकार द्वारा जारी रास्ता अभियान के अन्तर्गत रास्तो की समस्या के निवाराणार्थ राजस्व विभाग में सर्वे करवाकर मौके पर जारी रास्तो के राजस्व रेकर्ड में अंकन बाबत प्रस्ताव आमंत्रित किया गया। इसी संदर्भ में तहसीलदार ओसियां द्वारा तहसील ओसियां **के पटवार मण्डल खेतासर ग्राम बैहचारणान की सरहद से जसनाथनगर तक सार्वजनिक** रास्ता दर्ज करने के प्रस्ताव प्रेषित किए गए। पटवारी भू.अ.निरीक्षक व तहसीलदार की संयुक्त रिपोर्ट में प्रस्तावित गै.मु. रास्ते पर कहीं कहीं ग्रेवल सडक होना बताया गया है। इस संदर्भ में अप्रार्थी की भूमि ग्राम बेहचारणान के खसरा नम्बर 120 रकबा 01 बीघा 15 विस्वा मे से 06 विस्वा. किस्म बारानी तृतीय ख.न. 120/1 रकबा 1 बिघा 16 विस्वा बारानी तृतीय में सें 06 विस्वा, ख.न. 119 रकबा 04 विघा 17 बिस्वा बारानी द्वितीय में से 06 बिस्वा, ख.न. 118 रकबा 22 बीघा किस्म बारानी प्रथम में से 18 बिस्वा ख.न. 150/1 रकबा 37.09 किस्म बारानी तृतीय मे से 8 बिस्वा भूमि गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाता है। तहसीलदार ओसियां को आदेश दिया जाता है कि इस अनुसार मौके पर रास्ता चालू होने की स्थिति में राजस्व रेकर्ड (जमाबन्दी एवं नक्शे) में नियमानुसार अंकन किया जावे। निजि खातेदारी की भूमि से स्थायी सार्वजनिक रास्ता संबंधित खातेदार की खातेदारी में ही रहेगा। परन्तु जमाबन्दी व नक्शे में पृथक से खसरा नम्बर दिया जाएगा और भूमि किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज की जावे। राजकीय भूमियो के अधीन भूमियों में गैर मुमकिन रास्ता के रूप मे रकर्ड में अंकन किया जावे। तहसीलदार ओसियां आदेशानुसार दर्ज कर पालना इस न्यायलय को प्रेषित करें।

निर्णय खुले न्यायलय में आज दिनांक 16/3/21 का सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(रतनलाल [illegible])
उपखण्ड अधिकारी ओसियां

कार्यालय सहायक कलेक्टर ओसियां जिला जोधपुर

Scanned with CamScanner